बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2,पटना 800001

पत्रांक–

दिनांक–

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र/ राज्य सरकार के लोक उद्यम में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अधीन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र/ राज्य सरकार के लोक उपक्रम में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों का प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा लेने हेतु स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से निम्न वांछित योग्यता एवं शर्त्तों के साथ आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0स0	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	रिक्ति	प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त करने हेतु वांछित योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	उप महाप्रबंधक/ जिला प्रबंधक (उप सचिव स्तर)	PB-3+6600	Level-11	28	उप सचिव स्तर के पदाधिकारी जिनका वेतनमान Level-11 से अन्यून हो
2	सहायक प्रबंधक	PB-2+4600	Level-7	89	सहायक प्रबंधक/पर्यवेक्षकीय पद पर कार्यरत पदाधिकारी जिनका वेतनमान Level-7 से अन्यून हो
3	गुणवत्ता नियंत्रक	PB-1+2400	Level-4	101	गुणवत्ता नियंत्रक पद पर कार्यरत कर्मी जिनका वेतनमान Level-4 से अन्यून हो

आवेदन दिनांक–31.08.2021 के अपराहन् 5:00 बजे तक **प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, 'खाद्य भवन' दारोगा राय पथ,आर ब्लॉक,रोड नं.2, पटना 800001** के कार्यालय में हाथो–हाथ/डाक से जमा किया जा सकेगा। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

शर्ते:–

1. आवेदन के साथ पैतृक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
2. प्रतिनियुक्त कर्मी को देय वेतन एवं इस पर अनुमान्य भत्ते जो उनके पैतृक विभाग में देय है, राज्य खाद्य निगम में भुगतान किया जायेगा।
3. प्रतिनियुक्त कर्मियों के कार्यो की नियमित समीक्षा की जायेगी समीक्षोपरान्त यदि उनका कार्य असंतोष पाया गया तो उनकी सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी जायेगी।
4. प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा बिहार उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
5. प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा खाद्यान्न इत्यादि की गयी क्षति/गबन करने की स्थिति में क्षति/गबन की राशि राजय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर पर बिहार उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत सुद सहित वसूल किया जायेगा।
6. प्रतिनियुक्त कर्मियों के विरूद्ध क्षति/गबन तथा अपराधिक मामले आदि में आरोपित होने पर आरोप पत्र गठित कर उनके पैतृक विभाग को भेजेगा जिस पर पैतृक विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
7. निगम को किसी भी समय उनकी सेवा उनके पैतृक विभाग वापस किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

उप महाप्रबंधक, प्रशासन।

ज्ञापांक–3:02:140:01:2021 5371 दिनांक– 28-7-21

प्रतिलिपि–निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दो स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि–प्रबंधक,जन सम्पर्क,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं सूचना का प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रबंधक आई0टी0/कन्ट्रॉल रूम प्रभारी,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं निगम बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.7.21

उप महाप्रबंधक,प्रशासन।